कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-10/2016-17/

दिनांक : /09/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- नारायणबगड़

जिला- चमोली

विषय : क्षेत्र पंचायत नारायणबगड़ का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **04** प्रस्तर तथा STAN मे 01 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 10/2016-17/ दिनांक: /09/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, चमोली

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये क्षेत्र पंचायत नारायणबगड़ (चमोली) पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमति अंसी नेगी - अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत

श्री तोताराम शर्मा प्रभारी खंड विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(ii) श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.

(iii) श्री के.बी.गुरुंग, पर्यवेक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 09.05.2016 से 17.05.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं. नारायणबगड़ ,** जनपद **चमोली**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र :-- 18138 हेक्टेयर

जनसंख्या : -42325

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : --28

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 12

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या : 16

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- -

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : व्यय विवरण संलग्न

(अ) सामान्यः-

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत नारायणबगड़, जनपद- चमोली** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ. एवं श्री के.बी.गुरुंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 09.05.2016 से 17.05.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

शून्य

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4 (ब)-1**	**भाग 4 (ब)-2**

प्रथम लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर --

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची - शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख - शून्य

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- विभिन्न मदों के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2015-16 के मध्य प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

विभिन्न मदों के तहत वर्ष 2013-14 से 2015-16 के तहत प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य लम्बी अवधि तक अपूर्ण पड़े है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**कार्यों की संख्या**	**स्वी.धनराशि**	**व्यय धनराशि**
1.	क्षेत्र पंचायत विकास निधि	07	6,26,500/-	3,39,000/-
2.	13वाँ वित्त आयोग	14	3,20,000/-	1,90,000/-
3.	राज्य वित्त आयोग	19	14,40,000/-	8,25,000/-
4.	विधायक निधि	10	18,50,000/-	13,48,000/-
5.	श्री नन्दा राजजात	02	28,54,100/-	24,57,914/-
6.	पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि	09	9,01,000/-	4,60,000/-
			79,91,600/-	56,19,914/-

उपर्युक्त अपूर्ण कार्यों के बारे में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया आपदाओं/वर्षा के कारण एवं रेत न मिलने से कार्य पूर्ण नहीं हो पाये। कुछ कार्य पूर्ण हो चुके है धनराशि प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्यों को एक से तीन माह के अन्दर पूर्ण हो जाने चाहिए थे जबकि कार्य लम्बी अवधि से अपूर्ण पड़े है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2:- दैवीय आपदा निधि के अन्तर्गत ` 6.52 लाख लागत के कार्य को कोटेशन के आधार पर करवाना।

दैवीय आपदा के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत जाख के सलतीर गधेरे नामक तोक मे पुलिया पुनः निर्माण हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) द्वारा चार अगस्त 2013 को बादल फटने एवं भारी बारिश से क्षतिग्रस्त पुलिया मरम्मत कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन की आख्या प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर ` 6.52 लाख का आगणन तैयार कर गठित समिति द्वारा दिनांक 22.02.2014 को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई ` 25.00 लाख तक के कार्य वर्क चार्ज के द्वारा किसी सरकारी संस्था ऐजेन्सी से कराने हेतु अधिकृत है इकाई द्वारा उक्त कार्य तीन स्थानीय ठेकेदार से कोटेशन प्राप्त कर कार्य कराया गया था, जबकि अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम-43(घ) के अनुसार ` 5.00 लाख से अधिक के कार्य में खुली निविदा आमन्त्रित कर कार्य कराया जाना था। कोटेशन में निविदाता एल-2 व एल-3 द्वारा क्रमशः 8 व 5 प्रतिशत की दर से निविदा दिया गया था परन्तु तुलनात्मक विवरण में 10 व 7 प्रतिशत की दर से अंकित किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उच्चाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की गई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार नहीं किया गया था।

अतः दैवीय आपदा में ` 6.52 लाख के कार्य कोटेशन के आधार पर कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- श्रम उपकर का प्रावधान करते निर्माण कार्यों से कटौती कर श्रमिक कल्याण बार्ड निधि में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या 740/VII/14/680(श्रम) 2002 टी.सी.-11 दिंनाक 13.08.2014 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 तथा गठन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकार नियमावली 1998 के अंतर्गत अधिनियमित किये गये है जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हे विभिन्न हितकारी योजनाओ द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये है। उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कलयंकारी योजनाओ के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में श्रम कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान था।

विकास खण्ड में निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित खण्ड़ द्वारा उक्त प्रावधानित श्रम उपकर की एक प्रतिशत धनराशि का आगणनों में प्रावधान कर कटौती करके श्रण कल्याण बाई़ में जमा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा इस संदर्भ मे दिशानिर्देश प्राप्त कर प्राक्कलन मे प्रावधान किया जाएगा।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 3:- पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तो के विपरीत ` 13.18 लाख के गैर अनुमन्य कार्य कराया जाना।

पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का उद्देश्य क्षेत्र के पिछडेपन एवं क्षेत्रीय असमानता को दूर करने एवं विभिन्न विकासोन्मुख योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे कार्यों के ऐसे अन्तर (Gap filling) को भी पूर्ण किया जाना है, जो योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हो पा रहा हो। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा व्यक्तिगत कार्य न कर सामुदायिक आधारित कार्यों को महत्ता दी गई है। योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कार्यों को अनुमन्य तथा गैर अनुमन्य श्रेणी में रखा गया है यदि इस निधि के उपयोग के नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तो/अनुमन्य तथा गैर अनुमन्य कार्यों आदि पर संशोधन हेतु निर्णय राज्य सरकार स्तर पर गठित अधिकार प्रदत्त (Empowered Committee) कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लिया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत, नारायणबगड के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विपरीत ` 13.18 लाख के गैर अनुमन्य श्रेणी के कार्य कराये गये थे (अनुलग्नक अ) जो आधारभूत संरचना के अन्तर्गत आते है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उच्चाधिकारी से दिशा-निर्देश प्राप्त थे, इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्य गैर अनुमन्य श्रेणी के थे एवं उक्त कार्यों को अधिकार प्राप्त कमेटी से संशोधन उपरान्त कराया जाना था।

अतः मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विपरीत ` 13.18 लाख के गैर अनुमन्य श्रेणी के कार्य कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 4:- विभिन्न मदों के तहत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज ` 12.08 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या 347/वि.आ.निदे.(तृ.रा.वि.आ)/2008 दिंनाक 17.01.2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं जैसे जिला पंचायतो, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतो को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि जैसे केन्द्रीय वित्त, राज्य वित्त, क्षेत्र विकास निधि, सासंद निधि, विधायक निधि, पी.एस.जी.एस.वाई. मनरेगा आदि जो लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण बैंक से जमा रहती है तथा उन पर बैंक से ब्याज अर्जित होता है उस अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

खण्ड़ विकास अधिकारी की विभिन्न मदों के तहत प्राप्त ब्याज की धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया मार्च 2016 को अर्जित ब्याज की धनराशि ` 12,08,708 थी जिसे शासनादेश के अनुसार राजकोष में अब तक जमा नहीं कराया गया एवं उक्त धनराशि क्षेत्र पंचायत के खाते में पडी हुई थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि समस्त धनराशि शीघ्र जमा करा दी जायेगी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे. प. नारायणबगड़ जिला-चमोली** को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय